मूल नियम एवं अनुपूरक नियम

(एफआर एवं एसआर)

मूल नियम, सामान्य नियमों का वह समूह है जो कि सभी सरकारी कर्मचारियों जिनका वेतन सिविल प्राक्कलन में से विकलनीय (डेबिटेबल) है तथा सरकारी कर्मचारियों का कोई अन्य वर्ग, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा घोषित किया गया हो, पर लागू होता है । इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों को अनुपूरक नियमों द्वारा और अधिक विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया गया है । ये नियम 1 जनवरी, 1922 को प्रवृत्त किए गए थे ।

2. एफआर तथा एसआर के विभिन्न खंडों को जानने से पहले, आप यह सोच रहे होंगे कि क्या यह नियम विद्यमान सरकारी कर्मचारियों पर अब भी लागू हैं । इस संबंध में, आप यह जानना चाहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 372 में यह उल्लेख है कि संविधान के लागू होने से तत्काल पूर्व भारतीय क्षेत्र में लागू सभी कानून प्रचलित रहेंगे, जब तक कि उन्हें किसी सक्षम विधानसभा अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित अथवा निरसित अथवा संशोधित नहीं किया जाता । इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 का परन्तुक, भारत के राष्ट्रपति को अन्य बातों के साथ–साथ नियुक्त किए गए व्यक्तियों के संबंध में भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है ।

3. मूल नियम तथा अनुपूरक नियम के अन्य चार भाग निम्नलिखित से संबंधित हैं :-

क) भाग II : यात्रा भत्ता
ख) भाग III : सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1972
ग) भाग IV : महंगाई भत्ता
घ) भाग V : मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता

4. मूल नियमों में कार्यग्रहण करने की तारीख से लेकर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन का भुगतान होने तक घटने वाले समस्त घटनाओं/स्थितियों का एक समग्र परिदृश्य निहित है । एफआर तथा एसआर (भाग I) के अंतर्गत आने वाले विषयों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया ह :-

एफआर तथा एसआर (भाग I)

अध्याय सं.	अध्याय की विषय वस्तु	अध्याय में शामिल किए गए विषय	अनुपूरक नियमों में संबंधित भाग	अभ्युक्ति
I	विस्तार तथा अनुप्रयोग	नाम, लागू होने की तारीख, अनुप्रयोज्यता, शक्तियों का प्रत्यायोजन, वित्त मंत्रालय से परामश		विभिन्न प्राधिकारियों को भिन्न–भिन्न शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए परिशिष्ट 3
II	परिभाषा	इन नियमों में उपयोग किए गए		विशिष्ट विषय पर विभिन्न

		शब्द		सत्रों में इन शब्दों को शामिल किया जाएगा ।
III	सेवा की सामान्य शर्तें	चिकित्सीय परीक्षण, पूर्ण काल की अवधारणा, लियन, निम्न पद पर नियुक्ति के विरूद्व संरक्षण, भविष्य निधि में अंशदान, वेतन तथा भत्ते, अप्राधिकृत अनुपस्थिति तथा 5 वर्ष से अधिक अवधि की छुट्टी नहीं ली जा सकती ।	3	
IV, V & VI	वेतन, वेतन में अनुवृद्धि तथा नियुक्तियों का संयोजन	विभिन्न परिस्थितियों में वेतन निर्धारण जैसे कि सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने पर, उच्चतर पद पर नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति, प्रतिपूरक भत्ता, आवास का आबंटन, शुल्क तथा मानदेय	4,5,6,26,27,28 तथा 45	शुल्क, भवन/आवास का आबंटन, उप–किराएदारी, लाईसेंस शुल्क का पुनरीक्षण आदि के लिए परिशिष्ट 4 हिंदी शिक्षण योजना के लिए प्रोत्साहन, विशेष भत्ता/सुदूर इलाकों में सेवा करने हेतु प्रोत्साहन के लिए परिशिष्ट 7 से 9 सीसीएस(संशोधित वेतन) नियम, 2008 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले आदेश
VII	भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति	भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति के दौरान सरकारी सेवकों की		परिशिष्ट 6 में संचित अनुदेश

		हकदारी		
VIII	बर्खास्तगी, हटाया जाना तथा निलंबन	इन परिस्थितियों में सरकारी सेवकों की हकदारी		सीसीएस(सीसीए) नियम, 1965 तथा सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2008
IX	सेवानिवृत्ति	अधिवर्षिता की आयु होने पर सेवानिवृत्ति, 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर नोटिस आदि		सीसीएस(पेंशन) नियम, 1972
X	छुट्टी	विभिन्न परिस्थितियों में छुट्टी हेतु हकदारी छुट्टी के दौरान वेतन पात्रता सहित	7,8 से 21	सीसीएस(छुट्टी) नियम 1972
XI	कार्यग्रहण अवधि	सरकारी सेवक की कार्यग्रहण समय हेतु हकदारी	22 तथा 23	परिशिष्ट 10 सीसीएस (कार्यग्रहण समय) नियम, 1929
XII	विदेश सेवा	विदेश सेवा में स्थानांतरण	24 तथा 24–क	परिशिष्ट 1 तथा 2 में विदेश सेवा के दौरान प्राप्त पारिश्रमिक तथा विदेश सेवा अंशदान की दरों पर जारी आदेश दिए गए हैं ।

5. जैसा कि देखा जा सकता है मूल नियमों के विभिन्न प्रावधानों के लिए पृथक नियम बनाए गए हैं तथा भिन्न–भिन्न तारीखों से लागू किए गए हैं । इसके अलावा, इन नियमों पर एडीआर मोनोग्राफ के अलग–अलग खंडों में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है । प्रतिभागी इन नियमों की अनुप्रयोज्यता के बारे में जानने के लिए संभवतः उन खंडों को पढ़ना चाहेंगे ।

******